

सं० स०- 01/युवा(स्था०) -31/2026.....

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक-.....

विषय:-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के तहत विभाग के सचिवालय हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 12 पदों पर संविदा के आधार पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति की सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के तहत विभाग के सचिवालय हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक से दिनांक-11.05.2026 तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करने के लिए राज्य में प्रकाशित सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (सी०डी० सहित) संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की

कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शंकर दयाल)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक:-01/युवा(स्था०) -31/2026.....

/पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमती प्रियेश नन्दिनी, आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्री सुनील कुमार, सहायक निदेशक प्रावै० शिक्षा- सह-नोडल पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रेस विज्ञप्ति को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के e-advertisement portal के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि ससमय प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हो सके।

S. Dayal
17/4/26

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिवालय के लिए निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक से दिनांक-11.05.2026 तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

विस्तृत सूचना एवं विहित प्रपत्र युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html> पर उपलब्ध है।

S. Nayal
17/4/26
(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

--: सूचना :-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिवालय हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक से संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

कुल 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत्

है:-

क्र.सं.	पद का नाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु जाति	अनु जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद।											
1	निम्नवर्गीय लिपिक	06	01	01	02	02	00	00	12	00	VI-0 DD-0 OH-0 MD-0
		02	00	00	01	01	00	00	04		

नियोजन हेतु आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएँ:-

- (i) यह संविदा नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं0-10000 दिनांक-10.07.2015, परिपत्र संख्या-3815 दिनांक-11.03.2016 परिपत्र सं0-1012 दिनांक-27.01.2022 एवं अन्य परिपत्रों में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।
- (ii) चयनित अभ्यर्थी योगदान के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी संलग्न करेंगे कि वे योगदान की तिथि से किसी अन्य नियोजन में नहीं है।
- (iii) आवेदक की उम्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 65 वर्ष के अन्दर हो।
- (iv) केवल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक संविदा नियोजन हेतु योग्य होंगे।
- (v) यह संविदा नियोजन दो वर्षों के लिए अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इन पदों पर पदस्थापन, जो पहले तक हो के लिए होगा।
- (vi) आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामले में सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड एवं पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती पर कोई दण्ड नहीं दिया गया हो। इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

- (vii) आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (viii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देना होगा जिसका प्रारूप संलग्न हैं।
- (ix) विभाग में आवेदन पत्र दिनांक-11.05.2026 तक उप सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना, चतुर्थतल 'ए' ब्लॉक, नियोजन भवन, इनकम टैक्स चौराहा, पटना-1 के पते पर हाथो-हाथ/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नियोजन प्राधिकार को होगा। मात्र आवेदन के आधार पर आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

S. Aayup
12/4/26

(शंकर दयाल)

सरकार के उप सचिव

संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :-
5. वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :-
6. आवेदक की जन्म तिथि एवं
सेवानिवृत्ति की तिथि :-
7. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उम्र :- वर्ष— माह— दिन—
8. शैक्षणिक योग्यता :-
9. क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं? :-
यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र/
क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त :-
हुए है।
11. सेवानिवृत्त के समय पदनाम :-
12. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई :-
भत्ता की राशि।
13. सेवानिवृत्त के समय पेंशन एवं महंगाई :-
भत्ता की राशि।
(पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें)
14. अद्यतन चिकित्सा प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन :-
द्वारा निर्गत
15. जिस पद के आवेदक हैं, उस पद पर संविदा :-
नियोजन (यदि हो तो) सहित विगत कार्यानुभव

16. मोबाईल संख्या (वाट्सऐप सहित) :-
17. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक
वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित
न हो (यदि हो तो विवरण) :-
18. सेवाकाल में/सेवानिवृत्ति के पश्चात
दण्ड की स्थिति :-
- (x) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद :-
दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)
- (xi) सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षों में कोई लघु :-
दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)
- (xii) पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से :-
कटौती का कोई दण्ड (यदि हाँ तो विवरण)

आवेदक का हस्ताक्षर